



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ 4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0242

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत के लिए सत्र 2025-26 (एक सत्र) स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय / विषयों में अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था : SAINT SOLDIER SHIKSHA SAMITI TONK || Civil Line Road Tal Katora Chouraha Tonk Rajasthan

महाविद्यालय का नाम : SAINT SOLDIER COLLEGE || NH-12 SOHELA PEEPLU TONK, , Ajmer Division, Tonk 304021

सम्बद्ध विश्वविद्यालय : Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer

पूर्व संचालित संकाय/ विषय : Arts स्नातक - Bachelor of Arts Geography, History, Political Science, Public Administration, Sanskrit, Sociology, Urdu, Drawing, ENGLISH LITERATURE, HINDI LITERATURE Science स्नातक - Bachelor of Science Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology

1. संस्था सत्र 2026-27 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2025-2026 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
9. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।
11. संस्था को सत्र 2025-26 हेतु पूर्व संचालित विषय /संकाय में अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि मापदंडों के पूर्ति के अभाव में नीति नियमानुसार निर्धारित शास्ति रुपये 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रुपये मात्र के भुगतान के उपरांत जारी की गई है।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(नथमल डिडेल)

आयुक्त
Digitally Signed by NATHMAL
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
Designation: Commissioner
Date: 2026-09-30 15:51:55 IST
Location: Jaipur, Raj, IN

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर टोंक।
5. कुल सचिव, Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer
6. सचिव सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली